कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-47/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

जिला वकास अ धकारी, हरिद्वार

जनपद- हरिद्वार

वषय : जिला वकास अ धकारी, हरिद्वार का वर्ष अगस्त 2015 से जूलाई 2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 0**4** प्रस्तर तथा STAN मे **01** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-47/2017-18/ दिनांक: /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़ ।

2- मुख्य वकास अ धकारी हरिद्वार, जनपद- हरिद्वार ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 47 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला वकास अ धकारी, चम्पावत के माह 08/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री मनोहर संह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/08/2017 से 14/08/2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री वजय कुमार, पर्यवेक्षक तथा श्री वनीत कुमार राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/08/2015 से 21/08/2015 तक श्री आई0 के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **10/2013** से 07/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :

2. निर्वा चत सदस्यों की संख्या :

3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :

4. उपस मतियों, स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :

5. कर्मचारियों की संख्या : 30

6. पंचायतराज की संप त्तयाँ:

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :

8. योजनाओं की संख्या :

9. (अ) सामाजिक संरक्षा :

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभा र्थयों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गया :

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ ध क्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	869.90	122.90	122.90	5,126.66	4,197.16	-	-	1,799.40	-
2015-16	-	1,799.40	232.11	232.11	6,951.75	7,340.14	-	-	1,411.01	-
2016-17	-	1,411.01	177.37	177.37	6,358.46	6,544.52	-	-	1,224.95	-
योग	-	4,080.31	532.38	532.38	18,436.87	18,081.82	-	-	4,435.36	-

कार्यालय जिला वकास अ धकारी हरिद्वार का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय ववरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	58,864,484.00	3,025,00,000.00	361,364,484.00	234,400,037.00	126,964,447.00
2	मनरेगा	28,125,600.00	1,57,439,000.00	185,564,600.00	174,776,000.00	10,788,600.00
3	क्रे डट कम सब सडी	-	-	-	0	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	-	-	-	0	0
5	मुख्यमत्री घोषणा	-	13,187,400.00	13,187,400.00	0	13,187,400.00
6	दीनदयाल	-	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0
7	मेरी गांव मेरी सड़क	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00
8	मै चंग ग्रान्ट	-	-	-	-	-
9	तालाब योजना	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
10	जिला योजना	-	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0
	योग	86,990,084.00	512,666,400.00	599,656,484.00	419,716,037.00	179,940,447.00

कार्यालय जिला वकास अ धकारी हरिद्वार का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय ववरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	126,964,447.00	302,500,000.00	429,464,447.00	302,729,185.00	126,735,262.00
2	मनरेगा	10,788,600.00	320,214,400.00	331,003,000.00	330,503,000.00	500,000.00
3	क्रे डट कम सब सडी	0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	0	901,600.00	901,600.00	901,600.00	0
5	मुख्यमत्री घोषणा	13,187,400.00	0	13,187,400.00	13,187,400.00	0
6	दीनदयाल	0	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0
7	मेरी गांव मेरी सड़क	21,000,000.00	8,750,000.00	29,750,000.00	20,272,000.00	9,478,000.00
8	मै चंग ग्रान्ट	0	52,938,626.00	52,938,626.00	48,814,844.00	4,123,782.00
9	तालाब योजना	8,000,000.00	0	8,000,000.00	7,736,000.00	264,000.00
10	जिला योजना	0	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0
	योग	179,940,447.00	695,174,626.00	875,115,073.00	734,014,029.00	141,101,044.00

नोट:- 124.38 लाख रु. के ई-पेमेन्ट के माध्यम से शासन स्तर पर एल.ई.जे.एफ. खाते में स्थानान्तरित कए गए।

कार्यालय जिला वकास अ धकारी हरिद्वार का वर्ष 201**6-17** का आय-व्यय ववरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	126,735,262.00	302,500,000.00	429,235,262.00	307,968,914.00	121,266,348.00
2	मनरेगा	500,000.00	319,057,000.00	319,557,000.00	319,057,000.00	500,000.00
3	क्रे डट कम सब सडी	-	-	-	0	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	-	1,785,800.00	1,785,800.00	1,785,800.00	-
5	दीनदयाल	-	-	-	0	0
6	मेरी गांव मेरी सड़क	9,478,000.00	8,750,000.00	18,228,000.00	17,500,000.00	728,000.00
7	मै चंग ग्रान्ट	4,123,782.00	154,027.00	4,277,809.00	4,276,908.00	901.00
8	तालाब योजना	2,64,000,00.00	-	264,000.00	264,000.00	0
9	जिला योजना	-	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-
	योग	**141,101,044.00**	**635,846,827.00**	**776,947,871.00**	**654,452,622.00**	**122,495,249.00**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

1. वर्ष के अंत में एक बहुत बड़ी धनरा श अवशेष पड़ी है जिससे यह स्पष्ट होता है क इकाई द्वारा वर्ष के दौरान योजनाओं का क्रयान्वयन ठीक ढ़ंग से नहीं कया जा रहा है।
2. इकाई द्वारा आय-व्यय दर्शाने बाला बजट ववरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप पर नहीं बनाया जा रहा है।

केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण					
वर्ष	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
2014-15	मनरेगा	28, 125,**600.00**	157,**439,000.00**	174,**776,000.00**	10,**788,600.00**
2015-16	राष्ट्रीय बायोगैस	0	0	0	0
2014-15	मनरेगा	10,**788,600.00**	320,**214,400.00**	330,**503,000.00**	500,**000.00**
2015-16	राष्ट्रीय बायोगैस	0	9,01,600.00	901,**600.00**	0
2014-15	मनरेगा	500,**000.00**	319,**057,000.00**	319,**057,000.00**	500,**000.00**
2015-16	राष्ट्रीय बायोगैस	0	1,**785,800.00**	1,**785,800.00**	0
	कुल योग	39,**414,200.00**	799,**397,800.00**	827,**023,400.00**	11,**788,600.00**

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- वधायक नि ध योजना के अन्तर्गत धनरा श ` **7.10 करोड़ का अवरोधन।**

उत्तराखण्ड़ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति/संतुलित विकास के उद्देश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांग को द्रष्टिगत रखते हुए विधायक निधि योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा विधायक निधि योजना के लिए 07 जून 2002 में योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गए। दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 4.2 के अनुसार निधि की धनराशि जिलाधिकारी के पी.एल.ए. में रखी जाएगी और सम्पन्न कराये गए कार्य के वास्तविक व्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक पी.एल.ए. से आहरित की जाएगी। पी.एल.ए. में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में ही रहेगा।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार की विधायक निधि से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कार्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों में शासन से स्वीकृत/आवंटित धनराशि ` 90.75 करोड कोषागार से आहरित कर पी.एल.ए. में जमा की गयी जिसके सापेक्ष विधायकों से 2590 निर्माण कार्यों हेतु ` 87.92 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष 2590 निर्माण कार्यों हेतु ` 87.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी। जांच में पाया गया कि विकास खण्ड़ों/निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 83.65 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, फलतः ` 7.10 करोड़ की धनराशि के कार्य या तो प्रगतिरत थे या अनारंभ थे। विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नवत है।

(` लाख में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	प्राप्त प्रस्तावों की धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटन के सापेक्ष अवशेष धनराशि	स्वीकृत के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**(2-5)**	**(2-6)**
2014-15	3025.00	3022.55	3022.55	3002.18	2987.93	22.82	37.07
2015-16	3025.00	3019.87	3019.87	2953.67	2897.17	71.33	66.20
2016-17	3025.00	2749.66	2749.66	2409.11	2038.30	615.89	340.55
योग	**9075.00**	**8792.08**	**8792.08**	**8364.96**	**7923.40**	**710.04**	**443.82**

इसके अतिरिक्त अभिलेखों में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के कुल 2590 कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए, जिसमें से 2159 कार्य (83%) पूर्ण 381 कार्य (15%) प्रगतिरत एवं 50 कार्य (2%) अनारम्भ थे। कार्यों की भौतिक स्थिति का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर कार्य	अनारम्भ कार्य
2014-15	889	889	871	17	1
2015-16	917	917	842	75	0
2016-17	784	784	446	289	49
योग	**2590**	**2590**	**2159**	**381**	**50**

उक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य स्वीकृत 2590 कार्यों में से 381 कार्य तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि 50 कार्य उनके स्वीकृति-वर्ष से लेखापरीक्षा तिथि तक प्रारम्भ नहीं किए गए थे। सामान्यत विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 180 दिन अर्थात 6 माह सुनिश्चित की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि या तो कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व कार्यालय द्वारा विधिवत सर्वे एवं निरीक्षण नहीं किया गया था या स्वीकृति कार्य इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि उनकी आवश्यकता जन-समुदाय हेतु अति आवश्यक हो। कार्यों का समय पर पूर्ण न किया जाना एवं प्रगतिरत/अनारम्भ रहना भी दर्शाता है

कि स्वीकृति राशि में ही यदि तीन वर्ष पश्चात निर्माण किया जा रहा है तो कहीं न कहीं गुणवत्ता के साथ भी समझौता किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जिला विकास अधिकारी हरिद्वार ने अपने उत्तर में बताया कि प्रगतिरत/अनारम्भ कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिए जायंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों के लंबे समय तक पूर्ण न होने से न केवल कार्य स्वीकृति धनराशि में पूर्ण किया जाना ही संभव हो पाता है बल्कि जन-समुदाय को समय पर उन सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है जिसके लिए माननीय विधायकों द्वारा योजनाएं प्रस्तावित की गयी थी।

अतः विधायक निधि योजना के अन्तर्गत ` 7.10 करोड़ के अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- कार्यालय के व भन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनरा श ` 8,47,903.00/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवं उस पर आरोपित ब्याज के वर्षवार विवरण को उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में ` 8,47,903.03/- की धनराशि प्राप्त हुई थी, जो लेखा परीक्षा तिथि तक इकाई के खातों में लम्बित पड़ी थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह बताया गया कि उक्त ब्याज की धनराशि विभागीय कार्यों की व्यस्तता के कारण राजकोष में जमा नहीं करायी जा सकी, जिसे शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ब्याज की धनराशि को अविलम्ब राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर 3:- मनरेगा नि ध के अन्तर्गत ` **1.50 लाख के विलम्ब मुआवजे (Delayed Compensation)** की **वसूली न किया जाना।**

मनरेगा निधि की दिशा-निर्देश पंजिका के पैरा 2.8 के अनुसार कामगार साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर भुगतान पाने के हकदार होते हैं। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारिख से 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान नहीं की जाती है तो मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिये भुगतान की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलम्ब मुआवजों के भुगतान के लिए हकदार होता है।

इकाई की मनरेगा निधि की पत्रावली की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (जुलाई 2017 तक) कुल ` 3,04,009/- की धनराशि विलम्ब मुआवजे के रुप में भुगतान की जाती थी जिसमें से ` 1,53,794/- की धनराशि का भुगतान कर दिया गया था एवं ` 1,50,215/- की धनराशि लेखा परीक्षा तिथि तक भुगतान की जानी अवशेष थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यदायी संस्था स्तर पर विलम्ब होने के कारण उक्त विलम्ब मुआवजे की धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिसका शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मनरेगा निधि अन्तर्गत समस्त व्यवहारों/कर्तव्यों के प्रति इकाई को नियन्त्रणकारी निरीक्षक की भूमिका का पालन करना चाहिए था जिसमें कि विलम्ब मुआवजें के समयोचित भुगतान का व्यवहार भी निहित है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4:- मनरेगा नि ध के अन्तर्गत कार्ययोजना के समय से न बनाये जाने के कारण अपूर्ण कार्यों की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होना।

मनरेगा नि ध की दिशा-निर्देश पंजिका के पैरा 2.4.15 के अनुसार कार्ययोजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में ति थयों का निर्धारण कया गया है जिसके अनुसार जिला स्तर से वा र्षक योजना को मंजूरी देने के उपरांत राज्य सरकार को 31 जनवरी तक प्रस्तुत कया जाना चाहिए।

इकाई की मनरेगा नि ध की पत्रावली की जाँच में पाया गया क वकास खण्ड़ों से प्राप्त कार्य योजनाओं का अनुमोदन वर्ष 2015-16 के लये फरवही माह एवं वर्ष 2016-17 के लये मई माह में करने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत कया जा रहा है जिससे क संबन्धित वत्तीय वर्ष में कराये जाने वाले कार्य अगले वत्तीय वर्ष के लये लंबित हो जा रहे है जिसका ववरण इस प्रकार हैं।

वत्तीय वर्ष	कुल कार्य	लंबित कार्य
2015-16	3700	2130
2016-17	10719	8766

इसे इं गत कये जाने पर इकाई के द्वारा यह बताया गया क मनरेगा अन्तर्गत कार्ययोजना वकास खण्ड़ स्तर पर तैयार कर अनुमोदन हेतु जिलास्तरीय कार्यालय में भेजी जाती है। वकास खण्ड़ से ही कार्य योजना वलम्ब से प्राप्त होने के कारण अनुमोदन भी वलम्ब से प्राप्त होता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क यदि वकास खण्ड़ स्तर से कार्ययोजना वलम्ब से बनायी जा रही है तो इस सम्बन्ध में इकाई को कार्य योजना समय से बनवाये जाने हेतु

आवश्यक कार्य नहीं करनी चाहिए थी परंतु इकाई के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वकास खण्ड़ स्तर पर नहीं की गयी जिसके कराण लंबित कार्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01:-** सक्षम अ धकारी की बिना संस्तुति के भण्ड़ार कक्ष की सामग्री को निष्प्रोयजन घो षत कर नीलाम कया जाना।

कसी भी कार्यालय को स्वप्रयोग हेतु अथवा अन्य कार्यालयों को हस्तांतरित करने हेतु क्रय की गयी या प्राप्त की गयी सामग्री को भंडार पंजिका में दर्ज करते हुये उनके प्रयोज्य/निष्प्रयोजय की स्थिति का ववरण तैयार कर सक्षम अ धकारी से प्रमा णत कराते हुये उनकी नीलामी की कार्यवाही की जानी चाहिए।

कार्यालय जिला वकास अ धकारी जनपद हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया क इकाई के भण्ड़ार कक्ष की व भन्न प्रकार की सामग्रीयों (अनुलग्नक 'क') को निष्प्रोज्य घो षत कर नीलाम करने में सक्षम अ धकारी की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी थी।

उक्त को इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क भ वष्य में सक्षम अ धकारी से अनुमति/संस्तुति लेने के उपरांत ही निष्प्रयोज्य साम ग्रयों की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

जिला वकास कार्यालय, हरिद्वार के भण्डार कक्ष से सम्बन्धित सामग्री का ववरण				
क्र.सं.	वस्तु का नाम	वस्तु की मात्रा	स्टाक बुक पृष्ट संख्या	अन्य ववरण
1.	मेज लकड़ी	14	2 / 31 / 33	5 खराब / 9 कार्यालय में
2.	बैंच लकड़ी	2	103	2 खराब / स्टोर में
3.	अलमारी लोहे की	22	7 / 8 / 54 112	10 खराब / 12 प्रयोग में
4.	रैक लोहे की	12	14 / 55 / 56	4 खराब / 8 प्रयोग में
5.	कुर्सी लोहे की	7	34 / 35 / 110	4 खराब / 3 प्रयोग में
6.	रैक लकडी की	2	36 / 37	2 खराब / स्टोर में
7.	छत का पंखा	4	1 / 39	2 खराब / 2 प्रयोग में
8.	नोटिस बोर्ड़ लकडी	1	39 / 40	1 खराब / स्टोर में
9.	कुर्सी लकडी की	26	43 / 110	12 खराब / 14 प्रयोग में
10.	कूलर	3	13 / 44	3 खराब / स्टोर में
11.	मेज लोहे की	2	58	2 खराब / स्टोर में
12.	साई कल	2	59 / 81	1 खराब / 1 स्टोर में
13.	कम्प्यूटर	8	63 / 102	3 खराब / 5 प्रयोग में
14.	फोटोस्टेट	2	98	1 खराब / 1 मरम्मत योग्य
15.	फैक्स मशीन	2	93	2 खराब / स्टोर में
16.	वाटर डस्पेन्सर	1	104	प्रयोग में
17.	वैक्यूम क्लीनर	1	106	प्रयोग में
18.	माईत्कोवेव	1	105	प्रयोग में
19.	कम्प्यूटर	6	66 / 67	2 खराब / 4 प्रयोग में
20	ए.सी.	1	88	1 खराब / स्टोर में

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
12/2000-01	4	-
23/2007-08	-	1,4
169/2008-09	1	1,2
131/2013-14	-	1(i),1(ii) तथा STAN
68/2015-16	-	1 ,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला वकास अ धकारी, चम्पावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) दिनांक 01/08/2015 से 27/11/2015 की डाक प्रेषण पंजिका।

(ii) इकाई के कर्मचारियों/ अ धकारियों द्वारा की गई यात्राओं के बिलों से संबन्धित पत्रवा लयाँ।

(iii) वगत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. सतत् अनिय मतताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस0 एस0 शर्मा	जिला वकास अ धकारी (दिनांक 01/08/2015 से 28/09/2016 तक)
(ii)	श्री पी0 एस0 चौहान	जिला वकास अ धकारी (दिनांक 29/09/2016 से वर्तमान तक)

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर कार्यालय जिला वकास अ धकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड, को इस आशय से प्रे षत क वे इसकी अनुपालन/टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर व. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सीधे प्रे षत कया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

स्थानीय निकाय